न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 381/2025(GCMS : 2025/512)

भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक श्री राज कुमार, शाखा–रामसेक, नजदीक चहल चौक, श्रीगंगानगर

बनाम

1. **श्रीमती पिंकी अरोड़ा** पत्नी श्री चरणजीत चावला **निवासी** वार्ड नं. 2, सुंदर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335711 एवं प्लॉट नं0 10 ब्लॉक "जे", चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)– 335711
2. **श्री चरणजीत चावला** पुत्र श्री गिरधारी लाल चावला **निवासी** वार्ड नं. 2, सुंदर कॉलोनी, नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) 335711 एवं प्लॉट नं0 10 ब्लॉक "जे", चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी, तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.)– 335711

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.01.2026

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण पिंकी अरोड़ा और चरणजीत चावला को ऋण सुविधा के रूप में 13.00/– लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 07.03.2017 प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 19.07.2025 को 12,61,060/– रूपये की राशि भुगतान से बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी पिंकी अरोड़ा द्वारा बंधक रखी अपनी अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 10 ब्लॉक "जे" किल्ला नं. 5 व 6, मुरब्बा नं. 10, पत्थर नं. 64/20, चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 25' गुणा 45' वर्गफीट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाऐं : पूर्व –सतनाम सिंह का प्लॉट, पश्चिम–रोड़, उत्तर– दीपू मिढा का प्लॉट, दक्षिण – चरणजीत का प्लॉट)** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण पिंकी अरो[illegible]र [illegible]जीत चावला** को **13.00/– लाख रूपये** का ऋण की स्वीकृति दिनांक [illegible].03.2017 को **प्रदान की गई थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी पिंकी अरोड़ा ने अपनी **अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 10 ब्लॉक "जे" [illegible]ल्ला नं. 5 व 6, मुरब्बा नं. 10, पत्थर नं. 64/20, चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी,**

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के **अनुसार क्षेत्रफल 25′ गुणा 45′ वर्गफीट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाऐं : पूर्व –सतनाम सिंह का प्लॉट, पश्चिम–रोड़, उत्तर– दीपू मिढा का प्लॉट, दक्षिण – चरणजीत का प्लॉट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 30.04.2025 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं तामील के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी पिंकी अरोड़ा की अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 10 ब्लॉक "जे" किल्ला नं. 5 व 6, मुरब्बा नं. 10, पत्थर नं. 64/20, चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 25′ गुणा 45′ वर्गफीट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाऐं : पूर्व –सतनाम सिंह का प्लॉट, पश्चिम–रोड़, उत्तर– दीपू मिढा का प्लॉट, दक्षिण – चरणजीत का प्लॉट) जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, **वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।** इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कारवाई [illegible]ए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी [illegible] 13(2) के [illegible] 19.07.2025 की तामील का प्रश्न है। **प्रार्थना पत्र के अनुसार** [illegible]9.07.2025 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के [illegible]स भिजवाये गये थे परन्तु धारा 13(2) के नोटिस की पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से तामील न होने के कारण, प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर दिनांक 31.07.2025 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों पंजाब केसरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एवं Financial News में दिनांक 06 सितम्बर 2025 को प्रकाशित करवाया गया है, **जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) की तामील होना माना जाना उचित है।** इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी पिंकी अरोड़ा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी **ऋणी पिंकी अरोड़ा द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति प्लॉट नं. 10 ब्लॉक "जे" किल्ला नं. 5 व 6, मुरब्बा नं. 10, पत्थर नं. 64/20, चक 3 एसटीआर, मघर सिंह कॉलोनी, तहसील घड़साना, जिला श्रीगंगानगर (राज.) बैंक में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार क्षेत्रफल 25' गुणा 45' वर्गफीट (बंधक सम्पत्ति की चारों सीमाऐं : पूर्व –सतनाम सिंह का प्लॉट, पश्चिम–रोड़, उत्तर– दीपू मिढा का प्लॉट, दक्षिण – चरणजीत का प्लॉट), का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर[illegible] दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2026 को [illegible] द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2026.03.18 12:28:55 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर